

8

RTI - Matter

F. No: II-18015/34/2014-NM.III
Government of India
Ministry of Home Affairs
(Naxal Management Division)

North Block, New Delhi
Dated the 25th March, 2014
26th

To,

Shri Shyam Sunder Sharma,
C/o Right to Information, Task Force Office,
Md. Khalil Sharki, Near Amba Talkies Mode,
Shahjahanpur.

Sub: Information sought under the Right to Information Act, 2005.

Please refer to your application dated 14.01.2014 received in this Division on 05.03.2014 vide this Ministry's letter No. VI.23014/132/2013-VS dated 04.03.2014 seeking information relating to the security measure for the protection of RTI Activist etc, under the RTI Act, 2005.

2. In this regard, it is informed that the information sought under the RTI Act, 2005 is not available with the undersigned and may be treated as 'NIL'.

3. Appeal u/s 19(1) of the Act, if any, is to be made within 30 days of receipt of this communication and the same in respect of this information lies with Shri M.A. Ganapathy, Joint Secretary, Naxal Management Division, Room No. 193-A/1, North Block, New Delhi - 110 001.

etc.

(Rambir Singh)
Director(NM) & CPIO


Copy to:

1. Shri Girish Kumar, Dir(VS) & CPIO, MHA, NDCC-II Building, 3rd Floor, Jai Singh Rd., New Delhi w.r.t letter No. VI.23014/132/2013-VS dated 04.03.2014.

26/03/2014
Pls. Issued
R&I.

सेवा में

मा० जनसूचना अधिकारी/गृह सचिव,
गृह मंत्रालय, भारत सरकार,
नई दिल्ली



पत्रांक सं०-583/सू०अ०अधि०-2005/शाहजहाँपुर

दिनांक-14 जनवरी, 2014

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 की धारा 6(1) के तहत आवेदन:-

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी की जानकारी में आया है कि जन सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होने के उपरान्त कतिपय प्रदेशों में आर०टी०आई० एक्टिविस्टों के ऊपर हमले की घटनाओं को दृष्टिगत कर आर०टी०आई० एक्टिविस्टों की सुरक्षा हेतु गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 14.6.2013 को कार्यवाही हेतु आदेश पारित किया गया है। चूंकि प्रार्थी भी आर०टी०आई० एक्टिविस्ट है जिस कारण प्रार्थी को उपरोक्त विषयक से सम्बन्धित निम्न जानकारी की आवश्यकता है।

अतः सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(1) के तहत दी गई निर्धारित अवधि में निम्न सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करें।

वांछित शुल्क 10/-रु० हेतु पाँच रुपये मूल्य के दो पोस्टल आर्डर सं०-69C 747394 मूल रूप में संलग्न हैं।

आपेक्षित सूचना का विवरण:-

1. आर०टी०आई० एक्टिविस्टों की सुरक्षा हेतु जन सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होने से आज दिनांक तक किस-किस दिनांक को किस-किस नाम के अधिकारीयों द्वारा आदेश पारित किये गये बताते हुए पारित आदेशों की छाया प्रति को प्रमाणित कर दो प्रतियों में उपलब्ध कराने की कृपा करें।
2. आर०टी०आई० एक्टिविस्टों की सुरक्षा हेतु पारित आदेशों का प्रभाव क्या सम्पूर्ण भारत वर्ष में है अथवा किसी प्रदेश में बताने की कृपा करें।
3. आर०टी०आई० एक्टिविस्टों की सुरक्षा हेतु पारित आदेशों का प्रभाव यदि किसी प्रदेश में नहीं है तो उस प्रदेश का नाम बताने की कृपा करें।
4. आर०टी०आई० एक्टिविस्टों पर होने वाले हमलों से एक्टिविस्टों को किस प्रकार की सुरक्षा उपरोक्त आदेश से प्राप्त होगी बताने की कृपा करें।
5. गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 14.6.2013 को आर०टी०आई० एक्टिविस्टों की सुरक्षा हेतु पारित आदेश की छाया प्रति को प्रमाणित कर दो प्रतियों में उपलब्ध कराने की कृपा करें।
6. क्या उत्तर प्रदेश में आर०टी०आई० एक्टिविस्टों से सम्बन्धित जनपद वार लिस्ट बनाई गयी है। यदि हाँ तो उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहाँपुर आर०टी०आई० एक्टिविस्टों से सम्बन्धित लिस्ट की छाया प्रति को दो प्रतियों में प्रमाणित कर उपलब्ध कराने की कृपा करें।

संलग्नक-

1. उक्त पोस्टल आर्डर मूल रूप में।

नोट:-यदि प्रार्थी द्वारा मांगी जा रही सूचना या उसके किसी अंश का सम्बन्ध किसी अन्य लोगों/प्राधिकरण से हो तो कृपया सू०अ०अधि०-2005 की धारा 6(3) के नियमानुसार कार्यवाही करने की करें।

प्रार्थी

Shyam Sunder Sharma
श्याम सुन्दर शर्मा

C/O सूचना का अधिकार, टास्क फोर्स कार्यालय,
मो० खलील शर्की, निकट-अम्बा टाकीज मोड़,
शाहजहाँपुर

13/Jan/2014
630214

DAPT
D-12

1251